

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3267

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

**न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व**

**3267. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी**

**श्री जनार्दन सिंह सिग्गीवाल :**

**श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी :**

**श्री संजय काका पाटील :**

**श्री पशुपति नाथ सिंह :**

**श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ :**

**डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :**

**श्री रितेश पाण्डेय :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिला न्यायाधीशों का कोई प्रतिशत निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पुरुषों की तुलना में निचली, जिला और उच्च स्तर की न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में वर्तमान में न्यायाधीशों में महिलाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार देश में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को गंभीरता से लेते हुए, न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विधि स्कूलों/कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीट आरक्षित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 2014 के बाद से उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है जिससे उनके समावेश को बढ़ाकर न्याय वितरण प्रणाली में एक स्थायी सुधार किया जाये ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री  
( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) और (ख) :** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं

करते हैं । अतः, केंद्रीय रूप से कोई जाति/वर्ग-वार डाटा नहीं रखा जाता है । कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की विद्यमान प्रणाली में, सामाजिक विविधता प्रदान करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं/अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देने का कर्तव्य प्रमुखतः न्यायपालिका का है । सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती है, जिसकी उच्च न्यायालय कॉलेजियम/उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने सिफारिश नहीं की है ।

29.07.2022 को, उच्चतम न्यायालय के 32 न्यायाधीशों में से 4 महिला न्यायाधीश और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में, कार्यरत 729 न्यायाधीशों में 96 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं । ब्यौरा **उपाबंध 1** पर है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारें, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, सेवानिवृत्ति के मामलों से संबंधित नियम और विनियम विरचित करती है । अतः, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्यों में यह संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में, यह राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय करते हैं ।

तथापि, सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में आने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों पर समुचित ध्यान दिया जाए, जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत महिला न्यायाधीशों की संख्या का विवरण **उपाबंध 2** पर है ।

**(ग) से (ड) :** पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी में प्रवेश के लिए एनएलयू के संकाय द्वारा राष्ट्र स्तरीय सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) संचालित की जाती है । संबंधित राज्य विधान के अधीन स्थापित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा । संविधान के अधीन, संघ सरकार की

जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मजहर सुल्तान मामले में 4 जनवरी, 2007 के अपने आदेश में, अधीनस्थ न्यायापालिका की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा प्रकल्पित की है, जो यह नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष की 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष की 31 अक्टूबर तक समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु स्थितियों या अन्य सुसंगत स्थितियों के आधार पर किन्हीं कठिनाइयों की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है ।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मलिक मजहर के निर्णय की एक प्रति भेजी थी । न्याय विभाग सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्ति को भरने में मलिक मजहर सुल्तान मामले द्वारा आज्ञापित तेजी लाने के लिए समय समय पर लिखता रहता है ।

\*\*\*\*\*

'न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व' के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 3267, जिसका उत्तर 05.08.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	25.07.2022 को महिला न्यायाधीशों की कार्यरत संख्या
क.	उच्चतम न्यायालय	04
ख.	उच्च न्यायालय	
1	इलाहाबाद	05
2	आंध्र प्रदेश	04
3	बॉम्बे	08
4	कलकत्ता	07
5	छत्तीसगढ़	01
6	दिल्ली	12
7	गुवाहाटी	02
8	गुजरात	06
9	हिमाचल प्रदेश	02
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	02
11	झारखंड	01
12	कर्नाटक	05
13	केरल	06
14	मध्य प्रदेश	03
15	मद्रास	12
16	मणिपुर	00
17	मेघालय	00
18	ओडिशा	01
19	पटना	00
20	पंजाब और हरियाणा	07
21	राजस्थान	02
22	सिक्किम	01
23	तेलंगाना	09
24	त्रिपुरा	00
25	उत्तराखंड	00
	<b>योग (ख)</b>	<b>96</b>

'न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व' के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 3267, जिसका उत्तर 05.08.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

25.07.2022 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत महिला न्यायाधीशों की संख्या का ब्यौरा दर्शित करने वाला विवरण ।

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)	जिला जज
1	आंध्र प्रदेश	123	55	45
2	अरुणाचल प्रदेश	7	4	1
3	दिल्ली	166	20	95
4	कर्नाटक	149	120	89
5	पुदुचेरी	2	0	3
6	राजस्थान	260	121	126
7	तमिलनाडु	216	100	112
8	नागालैंड	6	2	7
9	तेलंगाना	131	36	50
10	दादर और नागर हवेली	0	0	0
11	दमन और दीव	0	0	0
12	गोवा	15	8	5
13	महाराष्ट्र	346	139	112
14	सिक्किम	0	0	0
15	मेघालय	14	9	9
16	मणिपुर	5	10	4
17	मिजोरम	13	2	6
18	असम	120	61	21
19	बिहार	256	33	38
20	चंडीगढ़	7	0	4
21	छत्तीसगढ़	99	40	44
22	गुजरात	104	74	50
23	हरियाणा	70	59	52
24	हिमाचल प्रदेश	36	11	8
25	जम्मू-कश्मीर	37	24	8
26	केरल	125	39	42
27	लद्दाख	1	2	0
28	लक्षद्वीप	0	0	0
29	मध्य प्रदेश	300	133	103
30	ओड़िशा	185	114	45
31	पंजाब	156	59	60
32	त्रिपुरा	20	14	4
33	उत्तर प्रदेश	404	170	220
34	उत्तराखंड	51	33	22
35	झारखंड	85	39	10
36	अंदमान और निकोबार	0	0	0
37	पश्चिमी बंगाल	210	80	40
	<b>योग</b>	<b>3719</b>	<b>1611</b>	<b>1435</b>

\*\*\*\*\*